उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्याः 118–विनियम एवं काविनी–29/पाकालि/ 23–17–विनियम/18 (टीसी)(ASR/85) दिनांक 02 मार्च, 2023

कार्यालय–ज्ञाप

कम्पनी अधिनियम–2013 की धारा–179 तथा निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल–47, 48 एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की **दिनांक 14.02.2023** को सम्पन्न 189(26)वीं बैठक में पारित किये गये निर्णय के अनुपालन में एतद्द्वारा लेखा संवर्ग के उपमुख्य लेखाधिकारी, उप महाप्रबन्धक, महाप्रबन्धक एवं मुख्य महाप्रबन्धक के पदों पर सीधी भर्ती किये जाने के सम्बन्ध में **"उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद लेखा (अधिकारी) सेवा विनियमावली–1984 (यथा संशोधित)"** के परिषदादेश सं0–335–Regulation-23/SEB-93-ASR-85 dated 26.02.1994 में उक्त पदों हेतु अद्यतन **स्तम्भ–1** के अनुसार उपलब्ध व्यवस्थाओं के स्थान पर **स्तम्भ–2** की व्यवस्था एक चयन वर्ष (2022–23) के लिये निम्नानुसार संशोधित की जाती है :–

Source of Recruitment According Existing Regulation "UPSEB Accounts (Officers) Service Regulations, 1984 (as Ammended) (परिषदादेश सं0–335–Regulation-23/SEB-93-ASR-85 dated 26.02.1994)	**New Recommendation to substitute the existing Regulation**
स्तम्भ–1	**स्तम्भ–2**
<u>Group-1(A)Audit and Accounts</u> 6. <u>Dy. Financial Adviser/ Dy. Chief Accounts Officer/Dy. Chief Audit Officer</u> By promotion from amongst Sr.Account Officer /Sr. Audit Officer who have put in a minimum of 4 years service as such 100%. Provided that after coming in to force of UPSEB Accounts (Officers) service Regulations 1994 recruitment made to the cadre the ratio of 50% by promotion from amongst Accounts Offcier/Sr. Audit Officer and 50% by recruitement from amongst specail Accounts Officer in accordance with Board's Resolution No. Seven (6), 1983 dated 22.12.83 shall be deemed to have been made in relaxation of the said regulations 1984 in accordance with regulation 38 there of and shall be valid notwith standing any thing contailes in these Regulation.	**<u>Group-1(A)Audit and Accounts</u>** **6**–(i) **उपमुख्य लेखाधिकारी** के 50 प्रतिशत पद वरिष्ठ लेखाधिकारी पद पर कार्यरत ऐसे कार्मिकों से प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे, जिन्होंने 04 वर्ष की न्यूनतम सेवा उक्त पद पर पूर्ण कर ली हो। (ii) शेष 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्तियां की जायेंगी।
7. Financial Advisor and/or *Chief Account Officer/or Chief Audit Officer by promotion from Dy. Financial Advisor and/or Dy. Chief Account Officer and/or Dy chief Audit Officer who have put in a minimum of 4 years service as such ....100% *कारपोरेशन आदेश सं0–19–ज0श0–08/पाकालि/दिनांक 04.02.2000 द्वारा ***उप महाप्रबन्धक*** के पदनाम में परिवर्तित।	**7**–(i) **उप महाप्रबन्धक (लेखा)** के 50 प्रतिशत पद उपमुख्य लेखाधिकारी पद पर कार्यरत ऐसे कार्मिकों से प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे, जिन्होंने 04 वर्ष की न्यूनतम सेवा उक्त पद पर पूर्ण कर ली हो। (ii) शेष 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्तियां की जायेगी।
8. *Controller of finance and/or Accounts and/or Audit by promotion from Financial Advisor and/or Chief Account Officer and/or Chief Audit Officer who have put in a minimum of 4 years service as such ....100% *कारपोरेशन आदेश सं0–19–ज0श0–08/पाकालि/दिनांक 04.02.2000 द्वारा ***महाप्रबन्धक*** के पदनाम में परिवर्तित।	**8**–(i) **महाप्रबन्धक** के 50 प्रतिशत पद उप महाप्रबन्धक पद पर कार्यरत ऐसे कार्मिकों से प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे, जिन्होंने चयन वर्ष की 01 जुलाई को 04 वर्ष की न्यूनतम सेवा उक्त पद पर पूर्ण कर ली हो। (ii) शेष 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्तियां की जायेगी।

9. *Chief Controller of finance and/or Accounts and/or Audit by promotion from Controller of finance and/or Accounts and/ or Audit who have put in a minimum of 2 years service as such ....100% *कारपोरेशन आदेश सं0–19–ज0श0–08/ पाकालि/ दिनांक 04.02. 2000 द्वारा ***मुख्य महाप्रबन्धक*** के पदनाम में परिवर्तित।	(i) **मुख्य महाप्रबन्धक** के 50 प्रतिशत पद महाप्रबन्धक पद पर कार्यरत ऐसे कार्मिकों से प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे, जिन्होंने चयन वर्ष की 01 जुलाई को 02 वर्ष की न्यूनतम सेवा उक्त पद पर पूर्ण कर ली हो। (ii) शेष 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्तियां की जायेगी।

<u>उपरोक्त प्रस्तावित पदों हेतु शैक्षिक/अधिमानी योग्यता/अर्हता (सीधी भर्ती हेतु) :–</u>

"UPSEB Accounts (Officers) Service Regulations, 1984 के अन्तर्गत पूर्व में विद्यमान व्यवस्था (यदि कोई रही हो तो)	**नवीन प्रख्यापित व्यवस्था**
– उपमुख्य लेखाधिकारी के पद पर सीधी भर्ती हेतु पूर्व में कोई व्यवस्था प्रचलित नहीं रही है।	**1. उपमुख्य लेखाधिकारी** **(I) वेतनमान :–** सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत पे–मैट्रिक्स लेवल–12 (रू0 **1,23,100–2,15,900**) **(II) आयु सीमा :–** अधिकतम **46** वर्ष **(III)**सी0ए0./सी0एम0ए0(आई0सी0डब्ल्यू0ए0) /एम0बी0ए0 (फाइनेन्स) फुल टाइम अनिवार्य अर्हता होगी। **(IV) अनुभव:–** सरकारी/सरकार के उपकम अथवा निजी क्षेत्रों के संस्थानों में निर्धारित शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के उपरान्त **11 वर्ष** का वित्त, लेखा, सम्प्रेक्षा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष टैक्सेशन आदि क्षेत्र में अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव **रू0 200 करोड़** या अधिक के वार्षिक टर्न–ओवर वाली कम्पनी/संस्थान में अनिवार्य है। **(V)** सीधी भर्ती हेतु सुरक्षित पदों पर विभागीय कार्मिक आवेदन कर सकेंगें परन्तु उक्त पद पर चयन को पूर्ण रूप से सीधी भर्ती के माध्यम् से नई नियुक्ति माना जायेगा। उपरोक्त पद पर नियुक्ति की तिथि से पूर्व में की गयी सेवा (कारपोरेशन/ बाह्य संस्थानों की सेवा हेतु) सम्बन्धी किसी प्रकार के वित्तीय हित लाभ संरक्षित नहीं किये जाऐंगे, परन्तु केवल ग्रेच्युटी/अवकाश सम्बन्धी लाभ हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं अन्य ऊर्जा निगमों की पूर्व की सेवा अवधि को जोड़ा जायेगा।
Financial Adviser and/or Chief Accounts officer (DGM-Acctt.) and/or Chief Audit Officer: Chartered/Cost Acountants/SAS (Commercial) drawn from Commercial Audit Board, from other large public Sector Undertakings (Central/State), State Electricity Board, Railways and Defence Accounts Department with atleast 08 years experience.	**2. उप महाप्रबन्धक** **(I) वेतनमान :–** सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत पे–मैट्रिक्स लेवल–13 (रू0 **1,31,100–2,16,600**) **(II) आयु सीमा :–** अधिकतम **50** वर्ष **(III) शैक्षिक अर्हता :–** सी0ए0/सी0एम0ए0 (आई0सी0डब्ल्यू0ए0)/एम0बी0ए0 (फाइनेन्स) फुल टाइम अनिवार्य अर्हता होगी। **(IV) अनुभव:–** सरकारी/सरकार के उपकम अथवा निजी क्षेत्रों के संस्थानों में निर्धारित शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के उपरान्त **15 वर्ष** का वित्त, लेखा, सम्प्रेक्षा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष टैक्सेशन आदि क्षेत्र में अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव **रू0 200 करोड़** या अधिक के वार्षिक टर्न–ओवर वाली कम्पनी/संस्थान में अनिवार्य है।

	(v) सीधी भर्ती हेतु सुरक्षित पदों पर विभागीय कार्मिक आवेदन कर सकेंगें परन्तु उक्त पद पर चयन को पूर्ण रूप से सीधी भर्ती के माध्यम् से नई नियुक्ति माना जायेगा। उपरोक्त पद पर नियुक्ति की तिथि से पूर्व में की गयी सेवा (कारपोरेशन/वाह्य संस्थानों की सेवा हेतु) सम्बन्धी किसी प्रकार के वित्तीय हित लाभ संरक्षित नहीं किये जाऐंगे, परन्तु केवल ग्रेच्युटी/अवकाश सम्बन्धी लाभ हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं अन्य ऊर्जा निगमों की पूर्व की सेवा अवधि को जोड़ा जायेगा।
Controller of finance and/or Accounts and/or Audit Persons having atleast 12 years experience as Chartered/Cost Accountant drawn from other State Electricity Boards, public Sector Undertaking (Central/State) or from Indian Audit & Accounts Service/ Indian Railways Accounts/Defence Accounts (with Commercial background).	**3. महाप्रबन्धक** **(I) वेतनमान :-** सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत पे-मैट्रिक्स लेवल-14 (रू0 **1,44,200- 2,18,200**) **(II) आयु सीमा :-** अधिकतम 52 वर्ष **(III)** सी0ए0/सी0एम0ए0 (आई0सी0 डब्ल्यू0ए0) /एम0बी0ए0 (फाइनेन्स) फुल टाइम अनिवार्य अर्हता होगी। **(IV) अनुभव:-** सरकारी/सरकार के उपक्रम अथवा निजी क्षेत्रों के संस्थानों में निर्धारित शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के उपरान्त **18 वर्ष** का वित्त, लेखा, सम्प्रेक्षा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष टैक्सेशन आदि क्षेत्र में अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 08 वर्ष का अनुभव **रू0 200 करोड़** या अधिक के वार्षिक टर्न-ओवर वाली कम्पनी/ संस्थान में अनिवार्य है। **(v)** सीधी भर्ती हेतु सुरक्षित पदों पर विभागीय कार्मिक आवेदन कर सकेंगें परन्तु उक्त पद पर चयन को पूर्ण रूप से सीधी भर्ती के माध्यम् से नई नियुक्ति माना जायेगा। उपरोक्त पद पर नियुक्ति की तिथि से पूर्व में की गयी सेवा (कारपोरेशन/बाह्य संस्थानों की सेवा हेतु) सम्बन्धी किसी प्रकार के वित्तीय हित लाभ संरक्षित नहीं किये जाऐंगे, परन्तु केवल ग्रेच्युटी/अवकाश सम्बन्धी लाभ हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं अन्य ऊर्जा निगमों की पूर्व की सेवा अवधि को जोड़ा जायेगा।
Chief Controller of finance and/or Accounts and/or Audit Persons having atleast 15 years experience as Chartered/Cost Accountant drawn from other State Electricity Boards] public Sector Undertaking (Central/State) or from Indian Audit & Accounts Service/ Indian Railways and Defence Accounts (with Commercial background).	**4. मुख्य महाप्रबन्धक** **(I) वेतनमान :-** सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत पे-मैट्रिक्स लेवल-15 (रू0 **1,71,400- 2,23,600**) **(II) आयु सीमा :-** अधिकतम **55** वर्ष **(III) शैक्षिक अर्हता :-** सी0ए0/ सी0एम0ए0 (आई0सी0डब्ल्यू0ए0)/एम0बी0ए0 (फाइनेन्स) फुल टाइम अनिवार्य अर्हता होगी। **(IV) अनुभव:-** सरकारी/सरकार के उपक्रम अथवा निजी क्षेत्रों के संस्थानों में निर्धारित शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के उपरान्त **20 वर्ष** का वित्त, लेखा, सम्प्रेक्षा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष टैक्सेशन आदि क्षेत्र में अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव **रू0 200 करोड़** या अधिक के वार्षिक टर्न-ओवर वाली कम्पनी/संस्थान में अनिवार्य है।

	(v) सीधी भर्ती हेतु सुरक्षित पदों पर विभागीय कार्मिक आवेदन कर सकेंगें परन्तु उक्त पद पर चयन को पूर्ण रूप से सीधी भर्ती के माध्यम् से नई नियुक्ति माना जायेगा। उपरोक्त पद पर नियुक्ति की तिथि से पूर्व में की गयी सेवा (कारपोरेशन/वाह्य संस्थानों की सेवा हेतु) सम्बन्धी किसी प्रकार के वित्तीय हित लाभ संरक्षित नहीं किये जाएँगे, परन्तु केवल ग्रेच्युटी/अवकाश सम्बन्धी लाभ हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं अन्य ऊर्जा निगमों की पूर्व की सेवा अवधि को जोड़ा जायेगा।
Direct recruitment to the posts (DGM, GM & CGM) shall be made through an Interview which will be held at such place as may be notified by the Appointing Authority from time to time.	**5.** मुख्य महाप्रबन्धक, महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक एवं उपमुख्य लेखाधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के माध्यम् से नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हताओं को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को **साक्षात्कार** के माध्यम् से चयनित किया जाएगा। साक्षात्कार **100 अंको** का होगा।

(ii) उपरोक्तानुसार विनियमावली के संशोधन हेतु प्रस्तावित व्यवस्था के प्रख्यापन उपरान्त **''उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद लेखा (अधिकारी) सेवा विनियमावली–1984 (यथा संशोधित)''** उक्त सीमा तक, चयन वर्ष 2022–23 में लेखा संवर्ग (लेखा एवं सम्प्रेक्षा) के उपमुख्य लेखाधिकारी, उप महाप्रबन्धक, महाप्रबन्धक एवं मुख्य महाप्रबन्धक के पद पर नियुक्ति के लिए, इस परन्तुक के साथ संशोधित मानी जायेगी कि चयन वर्ष 2022–23 के उपरान्त पूर्व में प्रचलित व्यवस्थायें उक्त पदों हेतु स्वमेव पुर्नस्थापित हो जायेगी। उक्त के अतिरिक्त विनियमावली के अन्य समस्त प्राविधान यथावत् रहेंगे।

(iii) कार्यालय ज्ञाप सं0–735–विनियम एवं काविनी/पाकालि/22 दिनांक 08.09.2022 के अन्तर्गत महाप्रबन्धक एवं मुख्य महाप्रबन्धक पदों को भी शामिल मानते हुए **'प्रशिक्षण'** की शिथिलता उक्त पदों पर नियुक्त कार्मिकों हेतु लागू होगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

सं0: 118–(1)–विनियम एवं काविनी/पाकालि/2023 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
4. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत सेवा आयोग, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, बी–17, जे0 रोड, महानगर विस्तार, लखनऊ।
7. संयुक्त सचिव–01, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन एवं सम्प्रेक्षा)/(वित्त)/उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. समस्त अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 (मु0), शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को कारपोरेशन के निदेशक मण्डल की दि0 14.02.2023 को सम्पन्न 189(26)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
11. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

(राकेश भट्ट)
उप सचिव (काविनी एवं विनियम)